


## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

### आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 281 /2020 दिनांक 24.01.2020

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश/2652/2019 दिनांक 20.12.2019 में पैरा प्रथम से श्री अनिल कुमार गुप्ता, (RJ0297), न्यायाधीश, विशिष्ठ न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर को दिनांक 13.01.2020 से 16.01.2020 तक 04 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 11.01.2020 से 12.01.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसमें से दिनांक 13.01.2020 से 14.01.2020 तक 02 दिनों का उपार्जित अवकाश निरस्त किया जाता है ।

आज्ञा से

 24.1.2020


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/11/1998/ 510

दिनांक : 24.01.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. न्यायाधीश, विशिष्ठ न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर को उनके पत्रांक 100 दिनांक 17.01.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्री अनिल कुमार गुप्ता (RJ0297), न्यायाधीश, विशिष्ठ न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर ।
4. न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण क्रम-01, जयपुर महानगर ।

 24.1.2020

सहायक रजिस्ट्रार